THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) and (b) The Government has rescinded the Deep Sea Fishing Policy of 1991 under which operation of deep sea fishing vessels were allowed under joint venture, lease and test fishing.

(c) and (d) Action has been initiated for formulation of a new deep sea fishing policy. The Indian owned deep sea fishing vessels are being allowed to operate in the existing areas as per the recommendation of the Review Committee on deep sea fishing policy. The Govt. has also approved a rehabilitation package for Indian owned deep sea fishing vessels.

Prohibiting fishing by foreign companies of the Maharashtra coast

1331. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government had received a communication sometime during the last quarter of 1996, requesting for prohibiting fishing by foreign companies off the Maharashtra coast;

(b) if so, the action taken by Government thereon; and

(c) if no action has been taken so far the reasons therefor and by when the same is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Communications were received for prohibiting deep sea fishing off the Coast of Maharashtra during the monsoon season, on the same lines as had been done in respect of the Kerala Coast.

(b) and (c) The Government had banned fishing by deep sea fishing vessels in the EEZ off the coast of Maharashtra from 31st July, 1996 upto 28th August, 1996, corresponding with the ban imposed by Maharashtra Government during the same period for mechanised fishing trawlers in coastal areas.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1332. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न अंचलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र जिला-वार और राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) उनकी औसत वार्षिक क्षमता कितनी है;

(घ) अब तक उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने व्यक्तियों को वर्ष-वार प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) उपरोक्त में से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन में अनुमानत: कितना वार्षिक खर्च होता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत राज्य सरकार के संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों सहकारिताओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे 204 केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सहायता दी गई है। स्थान के उल्लेख सहित केन्द्रों की सूची संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र बैचों में प्रशिक्षण देते हैं और बैचों की संख्या तथा प्रत्येक बैच में प्रशिक्षुओं की संख्या प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करने के कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 2000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) हमारी स्कीम के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को एक/बहु उत्पाद तैयार करने के लिए क्रमशः 2.00/7.05 लाख रु० का एक मुश्त अनुदान और मूल पूंजी के रूप में एक/दो लाख रु० की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी. एफ.टी.आर.आई.) मैसूर या अन्य किसी अनुमोदित संस्थान में से किसी में भी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र का